

कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र ।

पत्रांक- 554 / भू0व्य0लि0-अनापत्ति

दिनांक जून 24 , 2020

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में।

श्री राहुल सिंघल,
यूनिट हेड,
आदित्य बिड़ला, अल्ट्राटेक
डाला।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-यूटीसीएल/डीएलसीडब्लू/2020-21 दिनांक 23जून 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 10.02.2017 को अनापत्ति, जिला स्तरीय समिति का कार्यवृत्त जारी किया जा चुका है।

अस्तु पुनः जिला स्तरीय समिति से उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का औचित्य नहीं है।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

UltraTech Cement Lim.
Unit: Dalia Cement Work

Authorised Signatory

जिला स्तरीय समिति का कार्यवृत्त


आज दिनांक 10/04/2017 को वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति () की बैठक आहूत की गयी ।

उक्त समिति में डाल्टा सीमेंट फ़ैक्ट्री (जय प्रकाश एसोसिएट्स लि०) द्वारा ग्राम कोटा में 465.102 हे० ग्राम पनारी में 70.012 हे० एवं ग्राम पडरछ में 51.064 हे० (कुल आवेदित रकबा 586.178 हे०) परगना अगोरी, तहसील सदर, जिला सोनभद्र में आवेदित वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) वानाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम समितियों/ग्राम पंचायतों एवं उम खण्ड स्तरीय द्वारा लिये गये निर्णय पर विचार किया गया।

समितियों के निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई कब्जा/पट्टा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव/दावा लम्बित नहीं है।

अतः समिति द्वारा ग्राम कोटा (465.102हे०), ग्राम पनारी (70.012) एवं ग्राम पडरछ (51.064 हे०) कुल प्रस्तावित 586.178 हे० वन भूमि को जय प्रकाश एसोसिएट्स लि० द्वारा सीमेंट उत्पादन हेतु खनन कार्य एवं जेपी सुपर सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर इस समिति को कोई आपत्ति नहीं है। अतः यह समिति सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करती है।

सलग्नक :- ग्राम सभा समितियों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव की प्रतियाँ।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला सोनभद्र।


प्रभागीय वनाधिकारी
अगोरी सोनभद्र।


जिलाधिकारी
जिला सोनभद्र

Ultra Tech Cement Limited
Ultra Tech Cement Works

Authorised Signatory

उप खण्ड स्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 09/02/2017 को वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee)की बैठक आहूत की गयी ।

उक्त बैठक में डाला सीमेन्ट फ़ैक्ट्री (जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड) द्वारा ग्राम कोटा में (485.102 हे०, ग्राम पनारी में 70.012 हे० एवं ग्राम पडरछ में 51.064 हे० (कुल आवेदित रकवा 586.178 हे०) परगना अगोरी, तहसील सदर, जिला सोनभद्र में आवेदित वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर अधिसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम समितियों/ग्राम पंचायतों की बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार किया गया ।


ग्राम समितियों के निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई कब्जा/पट्टा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव/दावा लम्बित नहीं है ।

अतः ग्राम समितियों द्वारा प्रस्तावित 586.178 हे० वन भूमि को जयप्रकाश एसोसिएट्स लि० द्वारा सीमेन्ट उत्पादन हेतु खनन कार्य एवं जेपी सुपर सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर इस समिति को कोई आपत्ति नहीं है अतः यह समिति सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रस्ताव को जो कि इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है को अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करती है ।

संलग्नक- ग्राम समा समितियों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव की प्रतियाँ ।


सहायक विकास अधिकारी
(सोनभद्र उपखण्ड)

सोनभद्र


(सोनभद्र उपखण्ड)
उप प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा, सोनभद्र


उप जिलाधिकारी

सदर, सोनभद्र

(नाम मुहर सहित हस्ताक्षर)

(नाम मुहर सहित हस्ताक्षर)

(नाम मुहर सहित हस्ताक्षर)

Ujjain Tech Cement Limited
Unit D-2, Cement Works

Authorised Signatory